[2021] 6 एस. सी. आर. 219

रमेश चंद्र श्रीवस्तवा

वी.

यू. पी. और ए. एन. आर. का राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 990)

13 सितंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और पामिदिघांतम

श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 319 - शक्ति का आह्वान करने के लिए सम्मन यू / s.319 सी. आर. पी. सी. चुनौती-दूसरे प्रतिवादी की हत्या की गवाही कि उसका पति (मृत)

उसके नियोक्ता (अपीलार्थी) द्वारा उसके दोस्तों की मदद से हत्या कर दी गई थी-मृतक अपीलार्थी का चालक था-आवेदन पर

एस का आह्वान करने वाले अभियोजन की ओर से। 319 सीआरपीसी सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया वह शक्ति यू / s.319 सी. आर. पी. सी. को लागू किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को समन करने का आदेश दिया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-आयोजितः शक्ति के आह्वान के लिए निर्धारित मानकों के संबंध में कानून का विवरण यू / s.319 सी. आर. पी. सी. हरदिप सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 105 और 106 में निहित है-परीक्षण

जैसा कि यू/शक्ति का उपयोग करने के लिए हार्डीप सिंह मामले में निर्धारित किया गया है। s.319 सी. आर. पी. सी. में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिद्धांत भी शामिल है कि केवल तभी जब मजबूत और

सबूत से एक व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत होता है, शक्ति यू / s.319 Cr.P.C. का प्रयोग किया जाना चाहिए-शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से नहीं किया जा सकता है-परीक्षण लागू किया जाना है

दलीप सिंह मामले के अनुच्छेद 105 के अर्थ के भीतर सत्र न्यायाधीश द्वारा समन जारी करने के आदेश को दरकिनार करते हुए - सत्र न्यायाधीश ने कहा कि वे इस मामले पर फिर से विचार करेंगे क्योंकि इस मामले में हरदिप सिंह ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने बयान पर भरोसा करने की मंजूरी दे दी है जिसे क्रॉस का सामना नहीं करना पड़ा है

धारा 319 Cr.P.C को लागू करने के उद्देश्य से जांच, उन मानकों पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो इस न्यायालय द्वारा धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस संबंध में कानून का बयान, हरदिप सिंह मामले के पैराग्राफ 105 और 106 में निहित है। [पैरा 7] [222-ई-एफ]

2.1 . उत्तरदाता, इसमें कोई संदेह नहीं है, इंगित करते हैं कि

अदालत के लिए धारा के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए कानून में पर्याप्त है 319 Cr.P.C., हालांकि, इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 8] [223-डी]

2.2 . इस संविधान पीठ द्वारा निर्धारित परीक्षण

और साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस साक्ष्य मिलता है, धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से नहीं किया जा सकता है। द. लागू किया जाने वाला परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, वह है

प्रथम दृष्टया मामले से अधिक जो आरोप तय करने के समय लागू होता है। यह सब उस साक्ष्य पर निर्भर करेगा जो प्रस्तुत किया गया है।

किसी दिए गए मामले में कि क्या प्रदीप सिंह मामले के पैराग्राफ 105 के अर्थ के भीतर कोई मजबूत आधार है। [पैरा 10,11] [223-ई-जी]

3. सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश

समन, अलग रखा जाता है। सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि

उन सिद्धांतों के आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करें जो इस न्यायालय द्वारा हार्दीप सिंह मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किए गए हैं। [पारस 12,13] [223-एच; 224-ए-बी]

3 एससीसी 92: [2014] 2 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया। लाभूजी अमृतजी ठाकुर और अन्य बनाम। गुजरात राज्य

और एक अन्य आकाशवाणी 2019 एससी 734: [2018] 13 एससीआर 822

संदर्भित किया गया।

-

मामला कानून संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

पै

रा 6

[2018] 13 एससीआर 822

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 990।

रमेश चंद्र श्रीवास्तव बनाम। यू. पी. राज्य

इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 09.01.2020 से,

लखनऊ इन क्रिमिनल मिस्क। धारा 482/378/407 के तहत मामला नं. 93 2020 से।

गौरव श्रीवास्तव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आदर्श उपाध्याय, अभिषेक चौधरी, संसृति पाठक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह एक और मामला है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए समन जारी किया गया है। (Cr.P.C.) ने नए बुलाए गए व्यक्ति को इस अदालत में लाया है।

3. हमारे सामने दूसरे प्रतिवादी द्वारा 27.06.2015 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एफ. आई. आर. में यह आरोप लगाया गया है कि उसके पति (मृतक) ने उसे बताया कि वह अपीलार्थी से मिलने के लिए काम पर जा रहा है। वास्तव में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक अपीलार्थी का चालक था। एफ. आई. आर. में यह भी कहा गया है कि दोपहर 2 बजे, उसने दूसरे प्रतिवादी-अपनी पत्नी को फोन किया और सूचित किया कि वह गोला जा रहा है और शाम तक वापस आ जाएगा। इसके बाद उसके पति का फोन बंद हो गया और एक अज्ञात शव मिला। दूसरे प्रतिवादी ने बताया कि उसके पति की हत्या उसके नियोक्ता (हमारे सामने अपीलकर्ता) ने अपने दोस्तों की मदद से की थी। उनका बयान 27.06.2015 पर दर्ज किया गया। उन्होंने एक अतिरिक्त बयान भी दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी ने पदच्युत कियाः

4. अपने साक्ष्य में, उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि

23.06.2015 , उसका पति सुबह लगभग 7 से 8 बजे घर से निकला और उसे बताया कि उसकी कार के मालिक ने उसे तुरंत फोन किया है। उसी दिन उसके पति ने उसे उसके मोबाइल फोन पर दोपहर करीब 2 बजे फोन किया और उसे बताया कि वह अपीलार्थी के साथ गोला जा रहा है और वह शाम तक वापस आ जाएगा। उसने यह भी कहा कि जब उसने अपीलार्थी को फोन किया, तो उसने उसे बताया कि कार लागुचा के पास सरकारी ट्यूबवेल के पास मिली थी और उस कार में उसके पति की चप्पलें पड़ी थीं। उसने यह भी कहा है कि वह और उसका परिवार आश्वस्त हैं कि उसका पति [2021] 6 एस. सी. आर. था।

अपीलार्थी ने अपने दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पति की हत्या उनके द्वारा की गई थी

अपीलार्थी। यह कथन 05.08.2017 पर दिया गया था। उसी दिन, अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 319 Cr.P.C का आह्वान करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। सत्र न्यायाधीश, खिरी ने दिनांक 11.09.2018 के आदेश द्वारा यह विचार लिया कि धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को बुलाने का आदेश दिया जाना चाहिए। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई। इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे सामने है।

5. हमने श्री गौरव श्रीवास्तव, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री आदर्श उपाध्याय, प्रथम के विद्वान वकील को सुना है।

319 Cr.P.C, उन मानकों पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो इस न्यायालय द्वारा धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का आह्वान करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में विधि का कथन, प्रदीप सिंह (उपर्युक्त) के पैराग्राफ 105 और 106 में निहित हैः

105. धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति एक विवेकाधीन है और एक

असाधारण शक्ति। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल वहाँ जहाँ मजबूत और ठोस हो

अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य मिलता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। 106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि रमेश चंद्र श्रीवास्तव बनाम।

यू. पी. राज्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

क्रॉस-एग्जामिनेशन के एनविल पर परीक्षण किया गया, इसके लिए बहुत अधिक मजबूत की आवश्यकता होती है

उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में सबूत। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह वह है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन कम है

इस हद तक संतुष्टि कि सबूत, यदि अप्रमाणित हो जाता है, तो दोषसिद्धि होगी। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

Cr.P.C. धारा 319 Cr.P.C में प्रदान करने का उद्देश्य यदि 'यह' है

साक्ष्य से प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई अपराध किया है 'शब्दों से स्पष्ट है' जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, धारा 319 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

Cr.P.C. अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई भी राय बनाने के लिए।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, जो निस्संदेह यह इंगित करते हैं कि उनके द्वारा दी गई दूसरी प्रत्यर्थी की गवाही, अदालत के लिए धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से पर्याप्त होगी, हमारा विचार है कि मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

9. हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:

10. धारा 319 Cr.P.C के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित परीक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ

तरीके से। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, लागू किया जाने वाला परीक्षण वह है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जो आरोप तय करने के समय लागू किया जाता है। 11. यह सब उस साक्ष्य पर निर्भर करेगा जो किसी दिए गए मामले में प्रस्तुत किया जाता है कि क्या अर्थ के भीतर एक मजबूत आधार है।

12. हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों से, हमारे लिए सत्र न्यायाधीश, खिरी को इस पर विचार करने का निर्देश देना आवश्यक हो जाता है - इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में नए सिरे से मामला।

13. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा और हम [2021] 6 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेश को भी दरकिनार कर देंगे।

सत्र न्यायाधीश, खिरी, इस मामले को 30.09.2021 पर बुलाएंगे। उक्त दिन उपस्थित रहेंगे।इसके बाद न्यायालय उन आदेशों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगा जो इस न्यायालय द्वारा हार्डीप में निर्धारित किए गए हैं।

) . ऊपर की तरह अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई

बोस